

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 37/2024

बउनवान

कृष्णमुरारी पुत्र श्री संतोष मीणा निवासी भटवाड़ा, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज०

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :— 1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 22.11.2024

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 19.03.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.40 है., किस्म—चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी मानकर दिनांक 19.03.2024 को निर्णय पारित कर 640/-रूपये शास्ति आरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है और न किसी सरकारी भूमि पर उसका कब्जा है मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। नायब तहसीलदार मांगरोल ने दिनांक 19.03.2024 को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया है जबकि दिनांक 19.03.2024 को निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा छपे हुए परफोर्मा पर पारित किया गया है, इस प्रकार निर्णय प्रथम दृष्ट्या ही संदेहप्रद है। उक्त निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का भटवाड़ा का बयान भी छपे हुए परफोर्मा पर है जो बयान की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही का अवसर नहीं दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2024 प्रकरण संख्या 315/2024 निरस्त करमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को निर्णय सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(Signature)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खण्डन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2024 निरस्त फरमावें।


दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत् 2079 फसल रबी में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 265/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1305 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह ग्राम भटवाड़ा पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 265/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 315/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,
बारान (राज०)